डाक-व्यय की पूर्व अदायगी के बिना डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत. अनुमति-पत्र क्र. रायपुर

पंजी क्रमांक रायपुर डिवीजन

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 11] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 15 मार्च 2002—फाल्गुन 24, शक 1923

विषय—सूची

भाग 1

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 20 फरवरी, 2002

क्रमांक 322/76/2002/1-8/स्था.—श्री एम. के. पाण्डे, अपर संचालक, उद्योग संचालनालय, रायपुर को अस्थाई रूप से, आगामी आदेश तक, पदेन संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वाणिज्य एवं उद्योग, सार्वजनिक उपक्रम तथा ग्रामोद्योग विभाग भी घोषित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अरूण कुमार, मुख्य सचिव.

रायपुर, दिनांक 1 मार्च, 2002

क्रमांक 392/2002/1-8/स्था.—श्री ए. के. शर्मा (रा. प्र. से.) रजिस्ट्रार, छत्तीसगढ़ मंत्रालय, सामान्य प्रशासन विभाग, को तत्काल प्रभाव से, विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी, छत्तीसगढ़ मंत्रालय, सामान्य प्रशासन एवं जनशिकायत निवारण विभाग घोषित किया जाता है.

2. श्री जी. एस. वर्मा, सहायक यंत्री एवं पदेन विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी, सामान्य प्रशासन एवं जनशिकायत निवारण विभाग को तत्काल प्रभाव से पदेन रजिस्ट्रार, छत्तीसगढ़ मंत्रालय, सामान्य प्रशासन विभाग घोषित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
इन्दिरा मिश्रा, प्रमुख सचिव.

रायपुर, दिनांक 12 फरवरी, 2002

क्र. 406 /292/साप्रवि/2002/2.— श्री जी. एस. मिश्रा, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, रायपुर विकास प्राधिकरण को दिनांक 05-02-2002 से 02-03-2002 (26 दिवस) तक का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा दिनांक 03-03-2002 को सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री मिश्रा को मुख्य कार्यपालन अधिकारी, रायपुर विकास प्राधिकरण में पुनः पदस्थ किया जाता है.

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2002.

(3) श्री मिश्रा को अवकाश काल में, अवकाश वेतन, अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पूर्व मिलते थे.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री मिश्रा अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्यरत रहते.

(5) श्री मिश्रा के अवकाश काल में उनके कार्य का प्रभार सचिव, छ. ग. शासन आवास, पर्यावरण, नगरीय प्रशासन के प्रस्तावानुसार श्री एम. डी. दीवान, आयुक्त नगर निगम रायपुर को मुख्य कार्यपालन अधिकारी रायपुर विकास प्राधिकरण का श्री बी. के. सिन्हा संचालक, नगरीय प्रशासन विकास को संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश का एवं श्री संजय शुक्ला उप-सचिव आवास, पर्यावरण को उप प्रशासक राजधानी परियोजना का प्रभार उनके वर्तमान कर्त्तव्यों के साथ-साथ रहेगा.

रायपुर, दिनांक 19 फरवरी, 2002

क्रमांक 470/238/साप्रवि/2002/2.—श्री एम. के. राऊत, सचिव, छ. ग. शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को दिनांक 18-01-2002 से 25-01-2002 तक 08 दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है, साथ ही सार्वजनिक अवकाश दिनांक 26-27 जनवरी, 2002 को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री राऊत को आगामी आदेश तक सचिव के पद पर पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, छ. ग. शासन में पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाश काल में श्री राऊत को अवकाश वेतन व भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री राऊत अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 22 फरवरी, 2002

क्रमांक 517/77/साप्रवि/2002/2.—श्री एन. के. असवाल, भा.प्र.से. तत्कालीन सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग को दिनांक 28-12-2001 से 5-1-2002 तक 09 दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है, साथ ही सार्वजनिक अवकाश दिनांक 6-1-2002 को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री असवाल को आगामी आदेश तक सचिव के पद पर राजस्व एवं लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, छत्तीसगढ़ शासन में पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाश काल में श्री असवाल को अवकाश वेतन व भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री असवाल अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 25 फरवरी, 2002

क्रमांक 526/320/साप्रवि/2002/2.—श्री अमिताभ जैन, कलेक्टर, रायपुर को दिनांक 27-2-2002 से 8-3-2002 तक 10 दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है, साथ ही सार्वजनिक अवकाश दिनांक 9 एवं 10 मार्च, 2002 को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री अमिताभ जैन को आगामी आदेश तक कलेक्टर के पद पर जिला रायपुर छत्तीसगढ़ में पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाश काल में श्री जैन को [illegible]काश वेतन व भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री जैन अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

(5) श्री जैन के अवकाश की अवधि में उसका कार्य अपर कलेक्टर, रायपुर अपने वर्तमान कर्त्तव्यों के साथ-साथ सम्पादित करेंगे.

रायपुर, दिनांक 26 फरवरी, 2002

क्रमांक 547/329/साप्रवि/2002/2.—श्री मनोहर पाण्डे, संयुक्त सचिव, छ. ग. शासन, समाज कल्याण, महिला बाल विकास, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग को दिनांक 8-4-2002 से 30-4-2002 तक 23 दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है, साथ ही सार्वजनिक अवकाश दिनांक 7-4-2002 को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री पाण्डे को आगामी आदेश तक संयुक्त सचिव के पद पर समाज कल्याण, महिला बाल विकास, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, छ. ग. शासन में पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाश काल में श्री मनोहर पाण्डे को अवकाश वेतन व भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री पाण्डे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
दुर्गेश मिश्रा, संयुक्त सचिव.

रायपुर, दिनांक 18 फरवरी, 2002

क्रमांक 302/2002/1-8/स्था.—श्री आर. एस. रघुवंशी, अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग को दिनांक 12-12-2001 से 14-12-2001 तक 3 दिन अर्जित अवकाश तथा दिनांक 15-12-2001 से 25-1-2002 तक 42 दिन का लघुकृत अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा दिनांक 26 एवं 27 जनवरी 2002 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री रघुवंशी को पुन: अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग में पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाश काल में श्री रघुवंशी को वेतन व भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि श्री रघुवंशी यदि अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 19 फरवरी 2002

क्रमांक 304/2002/1-8/स्था.—श्री पी. सी. सूर्य, उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग को दिनांक 21-1-2002 से 25-1-2002 तक 5 दिन का अर्जित अवकाश तथा दिनांक 26 व 27-1-2002 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

(2) अवकाश काल में श्री सूर्य को वेतन एवं भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

(3) प्रमाणित किया जाता है कि श्री सूर्य यदि अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
स्टीफन खलखो, उप-सचिव.

खनिज साधन विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 18 फरवरी 2002

विषय :— राज्य शासन की खनिज नीति

क्रमांक 443/ख.सा.वि./2002.—राज्य शासन एतद्द्वारा दिनांक 1 नवम्बर, 2001 से छत्तीसगढ़ राज्य की खनिज नीति निम्नानुसार घोषित करता है :—

प्रस्तावना

छत्तीसगढ़ शासन नवीन राज्य होने का लाभ लेने हेतु कटिबद्ध है. राज्य द्वारा विवेक सम्मत निर्णय लिया गया है कि पुरानी लीक से हटकर आर्थिक विकास हेतु नये मार्ग का अनुसरण किया जाये. शासन के इसी दृष्टिकोण को यह खनिज नीति प्रतिबिंबित करती है. यह नीति पूर्व में प्रचलित नीति का संशोधन मात्र नहीं है अपितु भारत के अन्य राज्यों तथा अन्य देशों में प्रचलित उत्तम नीतियों के सम्यक विश्लेषण के आधार पर तैयार की गई है.

छत्तीसगढ़ राज्य खनिज सम्पदा की दृष्टि से एक सम्पन्न राज्य है. खनिज उत्पादन की दृष्टि से इसका सम्पूर्ण राष्ट्र में द्वितीय स्थान है. इस नवसृजित राज्य में औद्योगिक महत्व के खनिजों यथा कोयला, लोहा, बाक्साइट, चूनापत्थर, डोलोमाइट के विशाल भंडार मौजूद हैं. इनके अतिरिक्त आर्थिक महत्व का खनिज स्वर्ण, सामरिक महत्व का खनिज टिन अयस्क तथा रत्न सम्राट हीरा भी यहां पाया जाता है. प्रकृति प्रदत्त इन बहुमूल्य खनिज संपदाओं से परिपूर्ण होने के बावजूद इस राज्य के निवासी आर्थिक रूप से विपन्न है. यह एक विडंबना ही है. छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना का मूल उद्देश्य इसकी विशिष्ट ऐतिहासिक एवं सामाजिक धरोहर का सम्पोषण तथा बहुमूल्य प्राकृतिक संपदाओं का समुचित उपयोग करना है. इस प्रदेश का लगभग 44 प्रतिशत से अधिक भाग वनप्रान्तरों से आच्छादित है तथा अधिकांश खनिज पदार्थ इन्हीं वनप्रान्तरों एवं पहाड़ियों में पाये जाते हैं. यदि इस नवजात प्रदेश में उपलब्ध अकूत प्राकृतिक सम्पदा, खनिज संपदा का दोहन कठिन वन एवं पर्यावरण संरक्षण अधिनियमों के कारण नहीं हो पाएगा तो इस नवीन राज्य की स्थापना का मूल उद्देश्य पूर्ण नहीं हो पाएगा. अत: ऐसी विषम परिस्थितियों से निजात पाने तथा प्रदेश की प्राकृतिक सम्पदा के विकास में यहां के पिछड़े वर्ग को समुचित भागीदारी एवं लाभ दिलाने हेतु नई खनिज नीति तैयार की गई है.

रणनीति एवं उद्देश्य

छत्तीसगढ़ राज्य खनिज सम्पन्न राज्यों में से एक अग्रणी राज्य है. प्रदेश में लगभग 28 विभिन्न प्रकार के खनिज, जिनमें बहुमूल्य रत्न भी सम्मिलित है, पाये जाते हैं. इनमें हीरा, लौह अयस्क, कोयला, चूनापत्थर, डोलोमाइट, टिन अयस्क, बाक्साइट, स्वर्ण आदि प्रमुख हैं. महत्वपूर्ण हीरा तथा स्वर्ण की उपलब्धता के साथ ही प्रदेश को राष्ट्र में एकमात्र टिन उत्पादक राज्य तथा विश्व के बेहतरीन लौह अयस्क धारित राज्य होने का गौरव भी प्राप्त है.

इस राज्य की "परिकल्पना 2010" के अनुसार खनन के क्षेत्र में एक मजबूत एवं सर्वसम्मत विकास की नीति अपनाने पर बल दिया गया है जिससे राज्य में आर्थिक एवं औद्योगिक विकास संभव हो सकेगा. खनन का क्षेत्र राज्य के लिये आर्थिक लाभ एवं रोजगार जुटाने के बेहतरीन अवसर प्रदान करने की क्षमता रखता

है. यद्यपि इस दृष्टि से राज्य के सामने कुछ प्रमुख समस्यायें हैं, जैसे पूंजी निवेश की कमी, पुरानी तकनीक का उपयोग, कमजोर अधोसंरचना, सीमित निर्यातोन्मुखी अवसर एवं अधिकांश खनिज भंडारों का वन क्षेत्रों एवं अनुसूचित क्षेत्रों के अंतर्गत पाया जाना आदि.

छत्तीसगढ़ राज्य की खनिज नीति का उद्देश्य राज्य की खनिज संसाधन क्षमता का अधिकाधिक उपयोग एवं राज्य के घरेलू उत्पाद को खनिजों की सहायता से द्विगुणित करना है जैसी कि "परिकल्पना 2010" में कल्पना की गई है.

खनिज नीति का उद्देश्य निम्नांकित बिन्दुओं को सुनिश्चित करना है :—

* राज्य में उपलब्ध खनिजों का समुचित विकास एवं उपयोग.
* गुणवत्ता को प्रोत्साहन.
* खनिज क्षेत्र में स्थानीय एवं विदेशी पूंजी निवेश को आकर्षित करने हेतु व्यावसायिक वातावरण तैयार करना.
* प्रक्रियाओं का सरलीकरण एवं निर्णयों में पारदर्शिता.

उक्त उद्देश्यों की पूर्ति हेतु राज्य ने निम्नानुसार कदम उठाने का निश्चय किया है :—

* अधोसंरचना तथा मानव संसाधनों का विकास.
* गुणवत्ता को प्रोत्साहन तथा खनन विकास.
* संस्थागत विकास तथा नियमों का परिष्करण.

इस नीति का विशेष उद्देश्य उन अवसरों का सदुपयोग करना है जो राज्य शासन को खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 के अंतर्गत वर्ष 1999-2000 में प्रदत्त अतिरिक्त शक्तियों एवं प्रक्रियागत सरलीकरण के कारण निर्मित हुए हैं. खनिज क्षेत्र में चलाये जा रहे सुधार कार्यों की ओर भी यह नीति इंगित करती है. इस दिशा में यह राज्य अन्य खनिज बहुल राज्यों से सलाहकार प्रचलित कानूनों में उपयुक्त सुधार एवं नए नियमों का निर्माण करेगा. खनिज क्षेत्र के विकास के अतिरिक्त उत्तरदायित्वों के निर्वहन हेतु राज्य खनिज निगम का भी गठन किया गया है.

नीतियों की समीक्षा एवं क्रियान्वयन हेतु राज्य एक नीति क्रियान्वयन समिति की स्थापना करेगा. यह समिति जिसके प्रमुख अतिरिक्त मुख्य सचिव होंगे, नीति के क्रियान्वयन में आने वाली बाधाओं को चिन्हांकित करेगी तथा हल करेगी. यह समिति राज्य विनियोजन प्रोत्साहन मंडल, जो कि नियोजन हेतु प्रस्ताव आकर्षित एवं स्वीकृत करने हेतु नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करेगा, को भी सहयोग करेगी.

इस समिति के अतिरिक्त राज्य जिला स्तर पर कार्य दल (जिसमें संचालनालय तथा स्थानीय उद्योगों के प्रतिनिधि होंगे) गठित करेगा, जो खनिज अन्वेषण, रासायनिक विश्लेषण, अवैध खनन तथा परिवहन रोकने तथा राजस्व निर्धारण एवं राजस्व चोरी रोकने हेतु कार्य योजना तैयार करेगा. इस नीति के क्रियान्वयन में राज्य पर्यावरण एवं सामाजिक पहलुओं के मध्य समन्वय सुनिश्चित करेगा एवं पारिस्थितिकी संतुलन के पालन एवं उन्नयन के प्रति जागरूक रहेगा.

2.1 अधोसंरचना एवं मानव संसाधन का विकास

खनिज क्षेत्र की सुदृढ़ता हेतु यह आवश्यक है कि खनिजों के उपयोगकर्ता, इकाई, कच्चे माल के स्त्रोत एवं मध्यवर्ती उपयोगकर्ता के बीच आपसी समन्वय स्थापित हो. इस हेतु राज्य निम्न कदम उठायेगा :—

* ऐसे समस्त विभागों, जो अधोसंरचना सुविधाओं के निर्माण हेतु योजना बनाते तथा उनका क्रियान्वयन करते हैं जैसे छत्तीसगढ़ औद्योगिक विकास निगम, लोक निर्माण विभाग, जल संसाधन विभाग आदि के साथ समन्वय करना तथा अधोसंरचना के विकास के समय खनिज उद्योग की आवश्यकताओं का ध्यान रखा जायेगा.
* इसके अंतर्गत खनिज एवं खान क्षेत्रों में, विशेषकर सुदूर क्षेत्रों में, स्थित ऐसे क्षेत्रों के विकास के लिये सड़कें निर्मित करना, खनिजों के राज्य के भीतर एवं बाहर परिवहन हेतु आवश्यक रेल लाइनों का निर्माण करना सम्मिलित हैं. इस हेतु राज्य सरकार, जहां संभव हो, पहुंच मार्ग बनाने हेतु केन्द्र सरकार प्रवर्तित योजनाओं, जैसे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना आदि, से आंशिक सहायता प्राप्त करेगी.
* राज्य की ऊर्जा नीति के तहत खनिज आधारित उद्योगों को अपने स्वयं के उद्योग हेतु ऊर्जा उत्पादन संयंत्र लगाने हेतु प्रोत्साहित किया जायेगा.
* खनिज क्षेत्र के विषयों जैसे भूविज्ञान, प्रस्तर विज्ञान, भूरसायन, भूभौतिकी, पर्यावरण विज्ञान, खनिज प्रसंस्करण आदि के लिये आवश्यक प्रशिक्षण सुविधाओं के विकास को प्रोत्साहित किया जायेगा.
* खनिज विभाग में कार्यरत अमले को आधुनिक तकनीक से परिचित कराने हेतु प्रशिक्षण आयोजित किये जायेंगे. विभाग में कार्यरत तकनीकी अधिकारियों को आधुनिक तकनीकों की जानकारी हेतु देश तथा विदेश भेजा जायेगा.
* विशेष खनिज क्षेत्रों की पहचान हेतु सभी जिलों के लिये 'जोनिंग एटलस' तैयार किये जायेंगे जिससे खनन कार्यक्रम को सुव्यवस्थित किया जा सके तथा समूह खनन पद्धति को प्रोत्साहित किया जा सके ताकि पारिस्थितिकी संतुलन बिगड़ने न पाये.
* खनिज उत्खनन हेतु उपयुक्त स्थलों का विकास कर उन्हें पट्टे पर देने की कार्यवाही को प्रोत्साहित करना. खनि पट्टे के लिये न्यूनतम क्षेत्रों बाबत समीक्षा की जायेगी तथा सुरक्षित भूमि

अधिकार उपलब्ध कराये जायेंगे जिससे निवेशक खनन क्षेत्रों में अधिकाधिक नियोजन सुरक्षित रूप से कर सकें.

* उपयुक्त औद्योगिक अधोसंरचना का विकास हेतु मुख्य अधोसंरचना जैसे सड़क, बिजली, पानी, संचार व्यवस्था आदि उपलब्ध कराना तथा बड़े औद्योगिक क्षेत्र होने की स्थिति में सामाजिक अधोसंरचना जैसे अस्पताल, शालायें आदि उपलब्ध कराना.

* खनिज क्षेत्र में नये निवेशकों को आकर्षित करने हेतु रत्न तथा आभूषण पार्क की स्थापना को प्रोत्साहित करना.

2.2 गुणवत्ता संवर्धन तथा खनिज विकास

खनिज क्षेत्र में विकास हेतु आवश्यक है सतत अन्वेषण एवं पूर्वेक्षण, निजी क्षेत्रों से भागीदारी, साथ ही प्रदेश में यत्र तत्र बिखरे छोटे भंडारों का समुचित दोहन. इस हेतु प्रदेश में निम्नलिखित कदम उठाये जायेंगे :—

अनुसंधान एवं विकास

* खनिज पूर्वेक्षण तथा अन्वेषण की आधुनिक विधियों के प्रोत्साहन हेतु संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म, छत्तीसगढ़ द्वारा खनिज भंडारों के आंकलन तथा खनिज धारित क्षेत्रों की पहचान हेतु चलाये जा रहे सुदूर संवेदी, टोपोग्राफिकल सर्वेक्षण, विस्तृत भौमिकी मानचित्रण कार्यक्रमों का विस्तार किया जायेगा.

* निम्न श्रेणी अयस्कों को उपयोगी बनाने हेतु परिष्करण विषयक अध्ययन किया जावेगा.

* दुर्लभ खनिजों के लिए प्रतिस्थापन अध्ययन तथा छोटे खनिज भंडारों के औद्योगिक उपयोग हेतु प्रयास किये जावेंगे.

* आधुनिक एवं पर्यावरण संवेदी तकनीकों की उपलब्धता को उपकरणों, यंत्रों तथा मशीनों के माध्यम से सुलभ बनाना. राज्य शासन द्वारा वर्तमान में स्थित प्रयोगशालाओं में सुधार हेतु कदम उठाये जायेंगे. राज्य में रासायनिक, प्रस्तर, भूभौतिकी तथा फोटोभौमिकी प्रयोगशालाओं को आधुनिक उपकरण प्रदाय कर सुसज्जित किया जायेगा.

* राज्य एक सतत प्रक्रिया के तहत खनिज अन्वेषण तथा विश्लेषण से संबद्ध तकनीकी अमले को अद्यानुतन तकनीकी तथा उपकरण उपलब्ध कराने हेतु वचनबद्ध है.

निर्यात संवर्धन

छत्तीसगढ़ राज्य की खनिज संपदा के विश्वव्यापी बाजार की खोज हेतु राज्य द्वारा निम्न कदम उठाये जायेंगे :—

* राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर के प्रदर्शनी, व्यापार मेलों तथा सेमिनारों का आयोजन तथा उनमें भाग लेना. साथ ही राज्य के खनिज बाजार की अद्यानुतन जानकारी सुलभ कराने हेतु भ्रमण/दौरों का आयोजन करना.

* संभावित निवेशकों को आकर्षित करने हेतु त्रैमासिक "छत्तीसगढ़ खनिज बुलेटिन" का प्रकाशन तथा वितरण.

* खनिज व्यापार के लिये वित्तीय योजनाओं की स्थापना को प्रोत्साहन.

* बाजार में नई संभावनाओं की पहचान, विदेशी क्रेताओं को वितरकों के साथ जोड़ना तथा बाजार अंश को बढ़ावा देने हेतु प्रोत्साहन कार्यक्रम प्रारंभ करना.

* प्रदेश में निर्यातोन्मुखी उद्योग लगाने वाले उद्यमियों को खनि पट्टा स्वीकृति में प्राथमिकता देना.

* यथा संभव खनिजों के मूल्य संवर्धित रूप में निर्यात को बढ़ावा देना.

* खनिज संसाधनों के वास्तविक मूल्य आंकलन हेतु प्रदेश के खनिज भंडारों को धीरे-धीरे "संयुक्त राष्ट्र प्रवर्तित वर्गीकरण ढांचा" (यू. एन. फ्रेम वर्क क्लासिफिकेशन सिस्टम) के अंतर्गत लाना.

निजी क्षेत्रों की भागीदारी को प्रोत्साहन

* खनिज आधारित उद्योगों को विशेष उद्योग का दर्जा प्रदाय करना तथा उद्योग नीति के तहत दिये जाने वाले प्रोत्साहन खनिज उद्योग हेतु भी उपलब्ध कराना.

* बहुमूल्य खनिज जैसे हीरा तथा अन्य रत्न खनिज, स्वर्ण, आधारभूत धातु, टिन बाक्साइट आदि हेतु निजी/विदेशी निवेश को बढ़ावा देना.

* प्रदेश में उत्पादित खनिजों की अद्यतन जानकारी तैयार कर खनिज आधारित उद्योगों की स्थापना का मार्ग प्रशस्त करना.

* अनुसूचित क्षेत्रों में पाये जाने वाले खनिज भंडारों को निजी क्षेत्र में खनन हेतु अनुमति प्रदान करना जिससे खनिज संसाधन विकास के साथ-साथ प्रदेश के अविकसित क्षेत्रों का भी विकास हो. इस प्रकार की अनुमति देते समय आदिवासी जनता के हितों को संरक्षित किया जायेगा. इसके अंतर्गत विस्तृत पुनर्वास योजना का विकास समाहित होगा.

* सार्वजनिक उपक्रमों हेतु आरक्षित परन्तु अप्रयुक्त खनन क्षेत्रों की पहचान कर उन्हें निजी क्षेत्रों को उपलब्ध कराना.

* प्रदेश में प्रोसेसिंग (प्रसंस्करण)/परिष्करण संयंत्र स्थापित करने के इच्छुक उद्यमियों को खनि पट्टा स्वीकृति में प्राथमिकता.

ग्रेनाइट भंडारों का विकास तथा लघु पैमाने पर खनन

* प्रदेश के अमूल्य ग्रेनाइट भंडारों के सुव्यवस्थित विकास एवं संरक्षण को सुनिश्चित करने हेतु भारत सरकार के "ग्रेनाइट संरक्षण तथा विकास नियम 1999" को प्रदेश में लागू किया जावेगा.

* वन क्षेत्रों में "समूह खनन" को बढ़ावा देने की दृष्टि से छोटे आकार की निकटवर्ती ग्रेनाइट अनुज्ञसियों को सम्मिलित किया जायेगा.

* ऐसी ग्रेनाइट खदानों के विकास को प्राथमिकता दी जायेगी जिनमें निजी-सार्वजनिक क्षेत्र की साझेदारी हो.

* ग्रेनाइट खनन से उत्पन्न निरुपयोगी टुकड़ों को अलग से एकत्रित किया जा कर इस पर सामान्य इमारती पत्थर की दर से राजस्व वसूल किया जायेगा.

* छोटे भंडारों की औद्योगिक उपयोगिता निर्धारित करने हेतु उनका विस्तृत पूर्वेक्षण करना.

* छोटे भण्डारों के लिये वैज्ञानिक विकास की अवधारणा के तहत आर्थिक दोहन को प्रोत्साहित करना.

* प्रदेश में यत्र तत्र बिखरे छोटे खनिज भण्डारों के दोहन हेतु लघु पैमाने पर किये जाने वाले उत्खनन की अपेक्षाकृत व्यवस्थित प्रक्षेत्र में परिवर्तित करने हेतु कार्ययोजना बनाना एवं अनुसूचित क्षेत्रों में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना.

* खनिजों के अधिकतम दोहन तथा तकनीकी ज्ञान के आदान-प्रदान को सुगम बनाने हेतु स्थानीय छोटे खनिजों तथा बड़े विनियोजकों के मध्य साझेदारी को प्रोत्साहित करना.

* लघु पैमाने पर किये जाने वाले खनन प्रक्षेत्र की आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए खनन, प्रसंस्करण तथा खनिज विपणन व्यवस्था को सहयोगी सेवायें उपलब्ध कराना.

संस्थागत विकास एवं नियमों का परिशोधन

खनिज प्रक्षेत्र में दीर्घकालिक विकास सुनिश्चित करने तथा निजी निवेश को आकर्षित करने हेतु एक स्थिर पारदर्शी तथा प्रभावी संस्थागत एवं नियामक ढाँचा स्थापित किया जायेगा, जिसके लिये प्रदेश निम्न कदम उठायेगा :—

संस्थागत विकास

* संभावित निवेशकों को मार्गदर्शन/सेवायें उपलब्ध कराने हेतु संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म में एक विशेष कक्ष की स्थापना.

* अन्वेषण कार्य की पुनरावृत्ति से बचने हेतु संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म, छत्तीसगढ़ तथा प्रदेश में खनिज अन्वेषण हेतु कार्यरत अन्य केन्द्रीय संस्थाओं के मध्य समन्वय स्थापित करना.

* खनिज क्षेत्र में प्रभावी विकास, नियमन तथा अनुश्रवण करने की दृष्टि से शासन तथा खनन समूहों, साथ ही अन्य शासकीय विभागों जैसे वन, राजस्व भूमि, पर्यावरण आदि के मध्य एक औपचारिक परामर्श विधि स्थापित करना.

* अनुश्रवण कार्य के विकेन्द्रीकरण को सुलभ बनाने तथा प्रशासन एवं तकनीकी सहयोग सेवाओं को खनन केन्द्रों के समीप लाने हेतु, जिला प्रशासनिक कार्यालयों का सुदृढ़ीकरण.

* खनिज विकास हेतु नोडल एजेन्सी के रूप में राज्य खनिज विकास निगम की स्थापना की गई है. निगम, कार्यरत खदानों में श्रेणी सत्यापन हेतु सहयोग, खनिज आधारित उद्योगों तथा अन्वेषण, खनन, प्रसंस्करण आदि में निवेश को उत्प्रेरित करने में सहयोग करेगा.

नीतिगत एवं नियामक सुधार

* लघु एवं दीर्घ पैमाने की खनन संक्रियाओं को एकमेव करने हेतु अनुज्ञा प्रक्रियाओं की समीक्षा.

* खनिज रियायतें स्वीकृत करने हेतु प्रक्रिया का सरलीकरण जिसके अंतर्गत मुख्य खनिजों के प्रस्ताव केन्द्र शासन को भेजे जायेंगे तथा गौण खनिजों हेतु नियम प्रदेश में बनाये जायेंगे.

* कोयला, हीरा, लौह अयस्क आदि की रायल्टी (राजशुल्क) दरों में समयबद्ध पुनरीक्षण हेतु भारत शासन से अनुरोध किया जायेगा.

* केन्द्र शासन द्वारा दिये गये मार्गदर्शन के अनुरूप अवैध उत्खनन, अवैध परिवहन तथा खनिज राजस्व की हानि रोकने हेतु कठोर प्रावधान किये जायेंगे.

* खनिज रियायत स्वीकृति के अंतर्गत खनि पट्टा पंजीयन तथा सामान्य पट्टा नवीनीकरण की प्रक्रिया का सरलीकरण.

* पट्टा स्वीकृति तथा नवीनीकरण के समय उत्पादकता मापदंड निर्धारित किये जायेंगे.

* खनिज विकास की दृष्टि से म. प्र. खनिज नियम 1996 में आवश्यकतानुसार समुचित संशोधन किये जायेंगे.

* खनिज नीति में निहित उद्देश्यों की पूर्ति हेतु गौण खनिज नियमों को सरलीकृत तथा आवश्यकतानुसार परिवर्तित किया जायेगा.

* गौण खनिजों की खदानें नीलामी द्वारा प्रदाय करने के अधिकार जिला कलेक्टर को दिये जायेंगे तथा इनसे प्राप्त राजस्व ग्राम पंचायतों के विकास हेतु सुरक्षित रखा जायेगा.

* यह सुनिश्चित किया जायेगा कि खनन कार्य स्वीकृत खनन योजना (माईनिंग प्लान) के अनुरूप किया जाये.

* रियायत हेतु न्यूनतम क्षेत्रफल की समीक्षा की जायेगी. यह क्षेत्रफल बढ़ाया जा सकेगा जहाँ गहराई में आर्थिक रूप से खनन योग्य खनिज की उपलब्धता के मद्देनजर सुरक्षित तथा सुव्यवस्थित खनन हेतु बेन्चेज़ के समुचित निर्माण हेतु ऐसा किया जाना आवश्यक हो.

* स्वामित्व (रायल्टी) के स्वनिर्धारण की अवधारणा को सम्मिलित किया जावेगा.

* खनि पट्टा क्षेत्र के किसी भाग को समर्पित करने की अनुमति हेतु प्रावधान किये जायेंगे.

* विभिन्न प्राथमिकताओं जैसे निर्यात संवर्धन, परिष्करण/प्रसंस्करण संयंत्र की स्थापना आदि के आधार पर सर्वोत्तम आवेदक के चयन हेतु "पहले आओ पहले पाओ" को आधार मानने के स्थान पर जिस दिनांक को क्षेत्र अनारक्षित घोषित किया जावेगा उस दिनांक से 30 दिवस के भीतर प्राप्त आवेदन-पत्रों को माना जावेगा.

* शासन द्वारा अनावश्यक निरीक्षणों को सीमित किया जायेगा. इकाइयों में निरीक्षण करने का अधिकार मात्र एक श्रेणी

विशेष के ऊपर के अधिकारियों को ही होगा. ये निरीक्षण मात्र गल्ती निकालने की दृष्टि से नहीं वरन् वेधन, विस्फोटक, लोडिंग, परिवहन, सुरक्षा, संरक्षण, तकनीकी पुनर्निर्माण तथा कार्य के अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं के आंकलन हेतु किये जायेंगे.

* वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के कठोर प्रावधानों तथा इनके अंतर्गत बनाये गये नियमों को बहुधा खनि रियायत स्वीकृति एवं इनके नवीनीकरण कार्य में अवरोधक के रूप में देखा जाता है. छत्तीसगढ़ राज्य के लिये यह विशेषत: सही प्रतीत होता है जहां राज्य के कुल क्षेत्रफल का 44 प्रतिशत से अधिक भाग वनों से आच्छादित है. खनिज क्षेत्र में विकास हेतु अवरोधों को पार करने हेतु राज्य अतिरिक्त मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक समिति का गठन करेगा जिसमें वन विभाग तथा संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म से सदस्य होंगे. इस हेतु राज्य निम्न कदम उठायेगा :—

* प्रत्येक आवेदक को खनि पट्टा/पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति के आवेदन-पत्र के साथ इस आशय का शपथपत्र राजस्व मानचित्र की अभिप्रमाणित प्रति के साथ प्रस्तुत करना होगा कि आवेदित क्षेत्र वन क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है. इसे सरल बनाने हेतु शासन द्वारा वन मानचित्र तथा राजस्व मानचित्र को सुपरइम्पोज (समचित्रित) किया जायेगा.

* ऐसे क्षेत्रों जो राजस्व मानचित्र में वन भूमि के रूप में अंकित नहीं है या वन विभाग को स्थानांतरित राजस्व भूमि की श्रेणी में अथवा 'सी' एवं 'डी' श्रेणी भूमि में है, खनि पट्टा/अनुज्ञप्ति स्वीकृति/नवीनीकरण करने में अनावश्यक विलंब से बचने हेतु पट्टेदार को इस संबंध में एक शपथपत्र प्रस्तुत करना होगा. खनिज संसाधन विभाग ऐसे क्षेत्रों की विस्तृत जानकारी वन विभाग को अग्रेषित करेगा. यदि वन विभाग को कोई आपत्ति होगी तो वह 30 दिनों के भीतर प्रस्तुत करेगा. यदि वन विभाग से उक्त अवधि में आपत्ति प्राप्त नहीं होती है तो खनिज विभाग अनुज्ञप्ति स्वीकृत करने की अनुमति दे सकेगा.

* राष्ट्रीय उद्यानों सहित वन क्षेत्रों के 25 मीटर की परिधि में खनन कार्य नहीं किया जा सकेगा (वन क्षेत्रों की सूची वन विभाग द्वारा जारी कर वितरित की जायेगी). वन क्षेत्र के समीपस्थ शेष बचे क्षेत्रों हेतु आवश्यक अनुमोदन वन विभाग दे सकेगा.

* पट्टाधारी वनीकरण को प्रोत्साहित करने हेतु वनीकरण हेतु उपयुक्त एक न्यूनतम क्षेत्र "भूमि बैंक" हेतु अलग रखेगा जिसका निष्पादन, प्रत्येक जिले में खनिज विभाग के अधिकार में होगा.

* राज्य शासन नियमों में किये गये प्रावधानों के तहत ही वन क्षेत्रों को खनन उपयोग हेतु परिवर्तित करने केन्द्र शासन को मात्र उन्हीं प्रकरणों में अनुशंसा करेगा, (जैसे आरक्षित वन क्षेत्रों को अवानिकी कार्यों हेतु अनारक्षित करना) जहां अत्यंत आवश्यक हो तथा जहां खनन क्षेत्रों में विदेशी मुद्रा अर्जन की प्रबल संभावनायें हो अथवा ऐसा करना देश हित में हो.

पर्यावरण संरक्षण हेतु नियमों का निर्धारण

खनिपट्टा इकरारनामें में वृक्षारोपण, खदान से निकले अनुपयोगी पदार्थों को अन्यत्र एकत्रीकरण, बंद खदानों के समुचित उपयोग आदि के संबंध में शर्तें सम्मिलित की जायेगी तथा इनका परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा. उपरोक्त अनुबंधों के उल्लंघन की स्थिति में राज्य शासन द्वारा खनि पट्टा/उत्खनि पट्टा निरस्त कर दिया जावेगा. इस हेतु शासन द्वारा निम्न कदम उठाये जायेंगे :—

* खदान क्षेत्र के पुनरुद्धार को खनि पट्टा प्राप्त करने हेतु पूर्व शर्त के रूप में मान्य किया जायेगा.

* परफारमेंस बांड (बैंक गारंटीयुक्त सुरक्षा निधि) की अवधारणा प्रारंभ करना जिसमें पट्टाधारी किसी विशेष क्षेत्र में खनन कार्य पूर्ण होने पर उसका पुनरुद्धार करेगा, विषयक गारंटी हो. इस निधि की राशि पुनरुद्धार हेतु आवश्यक राशि से कुछ ज्यादा हो जिससे आवश्यकता पड़ने पर निजी क्षेत्र द्वारा पुनरुद्धार कार्य कराया जा सके.

* खदानों में कार्य करने वाले व्यक्तियों के लिये स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के मानदंड स्थापित किये जायेंगे तथा उनकी निगरानी की जायेगी.

* सघन खदान क्षेत्रों में अपेक्षाकृत कठोर पर्यावरण, मापदण्ड स्थापित किये जायेंगे तथा मुख्य खनन क्षेत्रों में नियमित अनुश्रवण सुनिश्चित किया जायेगा.

* प्रतिबंधित क्षेत्रों जैसे वन, राष्ट्रीय उद्यान, जल स्त्रोत आदि में खनन कार्य की अनुमति देने हेतु समुचित दिशा निर्देश जारी किये जायेंगे. राज्य खनिज उत्खनन के साथ-साथ भूमि उद्धार तथा वनीकरण को प्रोत्साहित करेगा तथा जैविक दृष्टि से संपन्न एवं पारिस्थितिकी दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्रों में खनन संक्रियायें करने में सावधानी बरती जायेगी.

* पर्यावरण मानदंडों के अनुरूप खनन क्षेत्रों का पुनरुद्धार सुनिश्चित किया जायेगा.

* बंद खदानों का उपयोग भूमिगत जल के पुनर्भरण हेतु किया जाने को प्रोत्साहित किया जायेगा.

* पर्यावरण हेतु सुरक्षित तकनीकों तथा खनन विधियों के उपयोग का प्रदर्शन तथा बढ़ावा दिया जायेगा.

* पर्यावरण हेतु जागरूकता तथा बेहतर पर्यावरण प्रबंधन को सुनिश्चित करने हेतु गैर शासकीय उपक्रमों, निजी कंपनियों तथा व्यक्तियों के साथ सहभागिता स्थापित की जायेगी.

* वर्तमान में अवस्थित खदानों के प्रदर्शन की जांच हेतु पर्यावरण आडिट कराया जायेगा एवं सुधार के क्षेत्र चिन्हित किये जायेंगे. पर्यावरण की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्रों में राज्य "पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्रतिवेदन" तैयार करने हेतु प्रोत्साहित करेगा.

* "खनिज विकास निधि" के निर्माण हेतु कार्यवाही की जावेगी.

सामाजिक सहभागिता को प्रोत्साहन

* खनन प्रक्रियाओं के विकास से संबद्ध व्यवसायी, उद्योगपति तथा अन्यों के संघों की स्थापना तथा विकास को प्रोत्साहित करना.

* गौण खनिजों के पट्टे स्वीकृत करने हेतु गरीबी रेखा के नीचे जीवन-यापन करने वाले अनुसूचित जाति/जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के सदस्यों/महिलाओं की सहकारी समितियों, बेरोजगार युवकों आदि को प्राथमिकता दी जायेगी.

* वृहत स्तरीय खनन कंपनियों तथा लघु स्तरीय खनन उद्यमियों के मध्य परस्पर लाभ हेतु सहयोग विकसित करने हेतु व्यवस्था को बढ़ावा दिया जावेगा.

* विस्तृत पुनर्वास योजना विकसित करना, स्थानीय जनता के हितों की रक्षा हेतु उन्हें खनिज विकास से होने वाले आर्थिक लाभ बाबत शिक्षित करना.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी. राघवन, प्रमुख सचिव.

ऊर्जा विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 2 फरवरी, 2002

मध्यप्रदेश विद्युत शुल्क अधिनियम, 1949 जिसका छत्तीसगढ़ राज्य में अनुकूलन ऊर्जा विभाग की अधिसूचना क्र. 90/159/जसऊ/2000 दि. 1-3-2001 द्वारा किया गया है, की धारा 3 (बी) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि राज्य में बन्द पड़े फेरो एलाईज उद्योगों को पुनर्जीवित करने के उद्देश्य से उनमें होने वाली विद्युत खपत पर विद्युत शुल्क तत्काल प्रभाव से अन्य आदेश तक मुक्त किया जाता है. इस छूट संबंधी निर्णय का पुनरावलोकन शासन द्वारा एक वर्ष पश्चात् किया जाएगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. व्ही. सुब्बारेड्डी, उप-सचिव.

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग,
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 28 फरवरी 2002

क्रमांक एफ-609A/खाद्य/2002/29.—राज्य शासन, एतद्द्वारा समर्थन मूल्य पर उपार्जित धान के भंडारण की समस्या से निपटने के लिये सुझाव देने हेतु, निम्नानुसार मंत्रिमण्डलीय उप-समिति गठित करता है :—

1.	श्री रामचन्द्र सिंहदेव	मंत्री, वित्त
2.	श्री डी. पी. धृतलहरे	मंत्री, वन
3.	श्री अमितेष शुक्ल	मंत्री, पंचायत एवं ग्रामीण विकास.
4.	डॉ. प्रेमसाय सिंह	मंत्री, कृषि एवं सहकारिता
5.	श्री चनेशराम राठिया	मंत्री, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण.

2. यह उप-समिति समस्या के सभी पहलुओं पर विचार कर सुझाव देगी कि घाटा कैसे कम किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पंकज द्विवेदी, प्रमुख सचिव.

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 12 फरवरी, 2002

क्रमांक 1249/255/21-अ (स्था.)/छ.ग.—सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्रमांक एफ-22(4)/2001/1/6, दिनांक 7-2-2002 के परिप्रेक्ष्य में श्री एच. आर. गुरुपंच, उप-सचिव, विधि और विधायी कार्य विभाग को राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो, रायपुर में विधि अधिकारी/विधिक सलाहकार के पद पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु दिनांक 11-2-2002 के अपरान्ह से कार्यमुक्त किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी. एस. जैन, प्रमुख सचिव.

वित्त, वाणिज्यिक कर, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी तथा 20 सूत्रीय कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 06 फरवरी, 2002

क्रमांक 351/एफ/6/38/2001/वा.कर (आब.)/पांच.—राज्य शासन द्वारा श्री एम. आर. ठाकुर, सहायक आयुक्त, आबकारी, बिलासपुर को उनके वर्तमान पदभार के साथ-साथ उपायुक्त आबकारी, संभागीय उड़नदस्ता, बिलासपुर के पद का प्रभार भी अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक सौंपा जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. मिश्रा, उप सचिव.